न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—109 / 2022 दायरा दिनांक 06.10.2022
GCMS CASE NO-2022/109

प्रकरण संख्याः—108 / 2022 दायरा दिनांक 06.10.2022
GCMS CASE NO-2022/108

राजूदेवी पुत्री ओमप्रकाश धर्मपत्नी पवन कुमार पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी रामनाथ जी कुटिया के पीछे, वार्ड न. 2 / 26 नया, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ ——अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़
2 विमलादेवी धर्मपत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़
3 बलराम उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़
4 सुभाष चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़
5 संदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़
6 श्रीमती सुमन पुत्री ओमप्रकाश धर्मपत्नी मोनूराम जाति जाट निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7 श्रीमती सरस्वती देवी पुत्री ओमप्रकाश धर्मपत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामनाथ जी कुटिया के पीछे वार्ड न. 2 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
8 व्यवस्थापक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा एडीबी सूरतगढ़ वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा एडीबी सूरतगढ़ ——रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
1. श्री भगवानदत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट (दोनो अपील में)
2. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधि0 रेस्पो. सं. 5(अपील सं.108 / 22)व रेस्पो.स. 3ता 5 (अपील सं.109 / 22)

दिनांक : 06 / 11 / 2024

—:: निर्णय ::—

प्रकरण संख्या 109 / 2022 व प्रकरण संख्या 108 / 2022 के पक्षकारान एवं विवादित भूमि एक ही होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ पारित किया जा रहा है। प्रकरण संख्या 109 / 2022 में अपीलांट ने जरिये निवेदन किया है कि अपीलांट के पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 के पिता / पति ओमप्रकाश पुत्र इमीलाल जाति जाट के नाम से जैर अपील भूमि यथा चक 9 एसजीआर तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 24 / 309 (37) के किला न. 8 / 1 में 0.114 है0 नहरी, 19 / 1 में 0.013 है0 नहरी कुल 0.127 है0 नहरी, पत्थर न. 25 / 310 (43) के किला न. 3 / 1 में 0.228 है0 नहरी, 3 / 2 में 0.025 है0 खाला, 4 / 1 में 0.228 है0 नहरी, 4 / 2 में 0.025 है0 खाला, 7—8 / 0.506 है0 नहरी, 12 / 1 में 0.114 है0 नहरी, 13—14 में 0.506 है0, 15 / 2 में 0.038 है0 नहरी, 16 / 1 में 0.228 है0 नहरी, 16 / 2 में 0.025 है0 [illegible] 0.759 है0 नहरी, 22 से 24 में 0.759 है0, 25 / 1 में 0.228 है नहरी, 25 / 2 [illegible] 025 [illegible] खाला कुल 3.694 है0 कुल 3.821 है0 नहरी मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible] ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] प्रकाश द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 04.01.2021 के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 के नाम से विरासत इंतकाल दर्ज [illegible] हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्या[illegible]य ने मृतक ओमप्रकाश के [illegible] जायज वारिसान को बिना नोटिस तामील करवाये बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान [illegible] सीधे ही सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। जबकि पहले सभी वारिसों की सूची प्राप्त कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री. गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्तिगत तलवी करनी थी। बाद में पंजीकृत तलवी व यह भी ना होने पर सार्वजनिक नोटिस जारी होना था। सार्वजनिक अखबार तलवी हिन्दी व अंग्रेजी के राष्ट्रीय अखबार से होनी थी जो मात्र क्षेत्रीय समाचार से करवाई गई है। पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष वाद कुल भूमि सहदायी बताते हुए अपने हकूक की घोषणा हेतु अपीलांट ने प्रस्तुत किया हुआ था, जो विचाराधीन होते हुए व रेस्पोडेंट को बजरिये पंजीकृत तलवी का ज्ञान होते हुए इस तथ्य को छुपाकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयों के अनुसार अधिकारों की घोषणा हेतु वाद लंबित होने पर नामांतरण कार्यवाही लंबित रखने व नामांतरण न्यायालय के आदेश सही अंकित करने के न्याय निर्णय है। अपीलाधीन आदेश न्याय विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा इस विषय में प्रार्थना पत्र 212 आरटीए भी प्रस्तुत किया गया था। इसके प्रभाव को कम करने हेतु नामांतरण तस्दीक किया गया जो निरस्ती योग्य है। जैर अपील भूमि सहदायी नही थी जिसका वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। वाद चलन होने से वसीयत हस्तांरतण धारा 52 हस्तांतरण अधिनियम के विरूद्व होने से अपीलनीय है। वसीयत कानून अनुसार सिद्व नहीं है। वसीयतकर्ता वसीयत के समय बीमार, सुध बुध खोया व्यक्ति था। उक्त वसीयत पंजीबद्व भी नही थी। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील संख्या 109/2022 स्वीकार करते अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 निरस्त किया जावे तथा अपील संख्या 108/2022 स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना में दर्ज अपीलाधीन इंतकाल संख्या 611 स्वीकृत दिनांक 20.06.2022 निरस्त किया जावे।

उक्त दोनो अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम दोनो अपीलों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट प्रकरण में प्रभावी एवं हितबद्व पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा ना पक्षकार बनाया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 5 ने उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कहा की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अब इस अपील में भी अपीलांट हितबद्व नही है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अलवोकन करने से पाया कि जैर प्रकरण भूमि अपीलांट के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसमें अपीलांट का हित निहित है। वकील रेस्पोडेंट संख्या 5 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किये है। दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। जैर अपील आदेश अपीलांट के पीठ के पीछे पारित किया गया है। अपीलांट को जैर अपील आदेश जानकारी 01.08.2022 को हुई। जानकारी दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 5 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि यह अपील मियाद बाहर पेश की है जो स्वीकार योग्य नहीं है। ... प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। वकील रेस्पोडेंट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

1078

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 5 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किये है। प्रार्थना पत्र में अंकित कारण भी सन्तोषजनक है। अतः दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किये किये जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाता है तथा दोनों अपीले अन्दर मियार शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टात आरबीजे 2016 पेज 547, आरबीजे 2017 पेज 419, आरआरडी 1997 पेज 287, डीएनजे रेव्न्यू 2022 पेज171 पेश किये।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 5 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जांच कर एवं विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलांट को जरिये सार्वजनिक सूचना तलब किया गया था परन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नही हुए। उक्त दोनों अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं नियमानुसार ही पारित किये गये है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दोनो आदेश यथावत रखे जाने के आदेश फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं दोनो पत्रावलियों का गहनता से अवलोकन किया। ओमप्रकाश पुत्र इमीलाल द्वारा दिनांक 04.01.2021 को सुरेन्द्र, सुभाष चन्द्र, संदीप कुमार के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु सुरेन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत के आधार पर जैर अपील भूमि का नामांतरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक ओमप्रकाश के वारिसान को सुनवाई का नोटिस दिये बिना सीधे ही दैनिक सामाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सार्वजनिक सूचना की प्रति से जाहिर है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ओमप्रकाश के विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अपील अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 व उक्त आदेश पालना में स्वीकृत इंतकाल संख्या 611 स्वीकृति दिनांक 20.06.2022 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि ओमप्रकाश के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्गत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्याालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner